रजिस्ट्री सं॰ डी॰—(डी॰ एन॰)—73

REGISTERED NO. (D) (DN)—73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9, 1983 (चैत्र 19, 1905)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9, 1983 (CHAITRA 19, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	349
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	475
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	361
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . .	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .	841
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	1695
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	149
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	7269
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	223
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	59
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	2195
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . . .	65
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . . .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	349
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	475
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	361
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	841
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1695
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	149
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7269
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	223
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	59
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2195
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	65
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 1983

संकल्प

सं० 64/1/1/83-मंत्रि० 1—भारत सरकार ने एक ऊर्जा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित के लिये जिम्मेदार होगा:—

(i) देश में ऊर्जा की स्थिति का विश्वव्यापी सन्दर्भ में निरन्तर पुनर्विलोकन करना और समाकलित एवं समन्वित आधार पर ऊर्जा के भावी विकल्प प्रस्तावित करना;

(ii) ऊर्जा के वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक स्रोतों सहित समाकलित ऊर्जा नीति तैयार करना और सभी क्षेत्रों में पूर्ति और मांग के प्रबन्ध के लिये प्रचालन व्यवस्था विकसित करना तथा ऊर्जा के प्रयोग की गहनता का सम्यक ध्यान रखते हुए उद्योग, परिवहन आदि में प्रौद्योगिकी विकल्पों को देखते हुए उनके कार्यान्वियन का परिवीक्षण करना;

(iii) विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की सम्भावित मांग और उपलभ्यता का आवधिक मूल्यांकन करना और अपने स्रोतों तथा पर्यावरण के संरक्षण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए देश की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को इष्टतम आधार पर पूरा करने के लिये समुचित व्यवस्थायें सुझाना; और

(iv) सभी ऊर्जा रूपों की, उनकी परस्पर उपलभ्यता, विकल्प लागतों और ऊर्जा के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, मूल्य नीतियां प्रस्तावित करना।

गठन

2. बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

1. श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, संसद सदस्य	अध्यक्ष
2. डा० वी० कुरियन, चेयरमैन, नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड	सदस्य
3. डा० कमला चौधरी	सदस्य
4. डा० जी० एस० मिश्र, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद	सदस्य
5. श्री वी० कृष्णमूर्ति, प्रबन्ध निदेशक, मारुति उद्योग लि०	सदस्य
6. डा० आर० के० पचौरी, डायरेक्टर, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट	सदस्य
7. डा० ए० एस० गांगुलि, चेयरमैन, हिन्दुस्तान लीवर लि०	सदस्य
8. प्रधान, फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री	सदस्य
9. श्री पी० एन० काट्जू, जयपुर	सदस्य
10. सचिव, योजना आयोग	सदस्य
11. श्री लवराज कुमार	सचिव बोर्ड

3. सरकार की अनुमति से बोर्ड विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं और संस्थाओं की सहायता ले सकेगा तथा जहां आवश्यक हो पैनल भी गठित कर सकेगा।

4. बोर्ड को अनुसचिवीय सहायता मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा दी जाएगी। बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. बोर्ड के कार्य सलाहकारी प्रकृति के होंगे और बोर्ड अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करेगा।

6. प्रारम्भ में बोर्ड की अवधि दो वर्ष की होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/तथा अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाये।

आर० परमेश्वर, संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 1983

संकल्प

सं० ओ०-12012/5/82-प्रशिक्षण—राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद को वर्ष 1965 में एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। संस्थान की गतिविधियां मुख्य रूप से ग्रामीण विकास में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने, अनुसन्धान अध्ययन आयोजित करने तथा परामर्शदायी कार्य करने से संबंधित हैं।

2. संस्थान के कार्यकरण और ग्रामीण विकास के उभरते हुए प्रतिमानों के सन्दर्भ में नोडल संस्थान के रूप में इसकी भूमिका की गहराई से पुनरीक्षा करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने एक पुनरीक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति को संस्थान के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है और इसमें सुधार लाने के लिये उपाय सुझाने हैं।

3. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:—

1. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2. सचिव, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग	सदस्य

3. डा० एस० के० राव, सदस्य
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान

4. श्री सुशील चन्द्र वर्मा,
भूतपूर्व सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय सदस्य

5. महा निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान सदस्य सचिव

4. पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे—

(1) ग्रामीण विकास के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिये नोडल संस्थान के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की भूमिका की जांच करना तथा ग्रामीण विकास के राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ इसके सम्बन्धों में सुधार लाने हेतु उपाय सुझाना।

(2) प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा परामर्श में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की गतिविधियों के प्रसंग की जांच करना और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिन्हें ग्रामीण विकास में संशोधित दृष्टिकोणों, जो 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में दी गई प्राथमिकताओं में भी दर्शाये गये हैं, को भली भांति प्रतिबिम्बित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की कार्य प्रणाली में सुदृढ़ बनाये जाने अथवा पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है।

(3) संगठन का ऐसा वांछित गठन तथा प्रतिमान दर्शाना जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को उपर्युक्त (1) व (2) में दिये गये उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए अगले कुछ वर्षों में विकसित होना चाहिये।

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की वर्तमान प्रबन्ध प्रणाली (जैसी कि उप नियमों, नियमों तथा विनियमों में दर्शायी गई है), की जांच करना और ऐसे किन्हीं परिवर्तनों का सुझाव देना जो ग्रामीण विकास के कार्मिकों के अनुस्थापन प्रशिक्षण का समन्वय करने के लिये प्रमुख संस्थान के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की उभरती हुई भूमिका के लिये उपयुक्त समझे जायें।

(5) ग्रामीण नेताओं के प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता की जांच करना और इस प्रयोजन के लिये संगठन के गठन तथा प्रतिमान को दर्शाना।

(6) देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता की जांच करना और इन ग्रामीण केन्द्रों की संरचना तथा प्रतिमान के बारे में सुझाव देना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

जे० सी० जेटली, संयुक्त सचिव

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1983

संकल्प

सं० 1 ईस्ट(5)/73-पर्यटन—बढ़ते हुए पर्यटन उद्योग में पहले से ही लगे हुए और बढ़ते हुए पर्यटन उद्योग के लिये आवश्यक कार्मिकों की शैक्षिक और प्रशिक्षण अपेक्षायें पूरी करने की दृष्टि से तथा सभी स्तरों, विशेषकर नीति निर्माण और निष्पादन सम्बन्धी स्तरों के पर्यटन प्रबन्ध में एक व्यवसायिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिये एक भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

1. (i) संस्थान की स्थापना सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की जानी है।

(ii) संस्थान का पंजीकृत हैड आफिसर दिल्ली में होगा और फिलहाल परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में अवस्थित होगा।

(iii) अन्य बातों के साथ साथ, संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार होंगे:—

(क) पर्यटन क्षेत्रों के भिन्न भिन्न अंगों यथा, होटलों, यात्रा अभिकरणों, यात्रा प्रचालकों, परिवहन प्रचालकों, गाइडों, एयर लाइंस, पब्लिक सेक्टर उद्यमों, केन्द्रीय और राज्य सरकार स्तरों पर अधिकाधिक पर्यटक संगठनों, आदि में विद्यमान और संभाव्य प्रबन्धकीय कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) परामर्शी सेवायें और अनुसंधान सुविधायें देना;

(ग) एक वृहत पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र स्थापित करना;

(घ) उपयुक्त साहित्य का प्रलेखन और प्रकाशन अपने हाथ में लेना।

2. (i) ऐसे संस्थान का प्रबन्ध बोर्ड आफ गवर्नर्स के माध्यम से किया जायेगा जो नीति निर्धारक संस्था होगी और इसमें निम्नलिखित होंगे:—

1. अध्यक्ष	पर्यटन और नागर विमानन मंत्री
2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष	सचिव पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग)।
3. उपाध्यक्ष	डा० जगदीश पारिख
4. उपाध्यक्ष	पर्यटन महानिदेशक

सदस्य

5.	चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक एयर इण्डिया
6.	चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक इण्डियन एयर लाइन्स
7.	चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक भारत पर्यटन विकास निगम
8.	चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
9. नामित	भारतीय यात्रा अभिकर्ता संघ
10. नामित	फेडरेशन आफ होटल्स एण्ड रेस्तरा एसोसियेशन आफ इण्डिया
11. प्रिंसिपल (रोटेशन से)	केटरिंग और होटल प्रबन्ध संस्थान
12. नामित	फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री
13. नामित	आल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसियेशन
14. निदेशक	भारतीय प्रबन्ध संस्थान
15. अपर महानिदेशक पर्यटन विभाग पर्यटन/निदेशक (पर्यटन प्रशासन)	

(ii) बोर्ड आफ गवर्नर्ज का कार्यकाल प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा।

(iii) बोर्ड अपनी अलग कार्यविधि तैयार करेगा और यह अपनी बैठकें एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बुलायेगा।

(iv) बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 6(26)/ई० iv/59दिनांक सितम्बर, 1960 में अन्तर्विष्ट आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेंगे। इस पर होने वाला व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।

जी० एन० मेहरा, महानिदेशक
पर्यटन और पदेन अपर सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 1983

सं० क्यू०-16015/1/82-डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०)—राष्ट्रीय श्रम संस्थान का पुनर्गठन अधिसूचना संख्या क्यू० 16015/1/82-डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०) तारीख 29/30 अक्तूबर, 1982 द्वारा अधिसूचित किया गया।

उक्त अधिसूचना के अन्तिम पैरा में यह कहा गया था कि संसद के सदस्यों, ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, नियोजकों के प्रतिनिधियों आदि के नाम बाद में अधिसूचित किये जायेंगे।

अनुवर्ती अधिसूचना सं० क्यू० 16015/1/82 डब्ल्यू० (ई० एन० एल० आई०), तारीख 3-11-1982 तथा 17 नवम्बर, 1982 में,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, तीन संसद सदस्यों, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, तथा दो नियोजक प्रतिनिधियों के नाम अधिसूचित किये गये थे।

अतः अब जनता की सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्ति राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान की सामान्य परिषद को सेवा करेंगे :—

संसद सदस्य

(1) श्री एम० वासावाराजू, 16, संसद सदस्य (राज्य सभा) सी० एफ० शाह रोड, नई दिल्ली।

ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है :—

(i) श्री के० आर० रामचन्द्रन,
371, एच० ए० एल० सैकण्ड स्टेज,
बंगलौर-560038।

(ii) डा० पी० प्रसाद,
अणुग्राह नारायण, सिन्हा इंस्टिट्यूट,
पटना, और

(iii) प्रो० राम नारायण सक्सेना,
उप कुलपति,
कासी, विद्यापीठ,
वाराणसी

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

श्री एम० वाईथियालिंगम,
श्रमायुक्त,
तमिलनाडु सरकार,
मद्रास

(i) श्रमिकों का एक प्रतिनिधि, (ii) विधान सभा के दो सदस्यों और (iii) एक संसद सदस्य का नाम बाद में अधिसूचित किये जायेंगे।

एम० एम० आर० जैदी
श्रम और पुनर्वास सलाहकार

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 21st March 1983

RESOLUTION

No. 64/1/1/83-Cab.—The Government have decided to set up an Advisory Board on Energy. The Advisory Board shall be responsible for :

(i) continuously reviewing the energy situation in the country in the global context and proposing future energy options on an integrated and coordinated basis;

(ii) formulating an integrated energy policy covering commercial and non-commercial sources of energy, and evolving operational arrangements for management of supply and demand in all sectors and monitoring their implementation keeping in view technology options in industry, transport etc. having regard to the intensity of energy use;

(iii) periodically assessing the likely demand and availability of different forms of energy and suggesting appropriate arrangements to meet the country's energy needs on an optimal basis keeping in view the need to conserve our resources as well as the environment; and

(iv) proposing pricing policies of all forms of energy, keeping in view their *inter se* availability, opportunity costs and conservation of energy.

Composition

2. The Board shall comprise the following :—

Chairman

1. Shri K. C. Pant, M.P.

Members

2. Dr. V. Kurien, Chairman,
National Dairy Development Board.

3. Dr. Kamla Chowdhry.

4. Dr. G. S. Sidhu, DG, CSIR.

5. Shri V. Krishnamurthy,
Managing Director, Maruti Udyog Ltd.

6. Dr. R. K. Pachauri, Director,
Tata Energy Research Institute.

7. Dr. A. S. Ganguly, Chairman,
Hindustan Lever Ltd.

8. President of Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry.

9. Shri P. N. Kathju, Jaipur.

10. Secretary, Planning Commission.

Member Secretary of the Board

11. Shri Lovraj Kumar.

3. The Board may, with the approval of Government, enlist assistance of experts, consultants and institutions and also constitute panels where required.

4. The Board will be serviced by the Cabinet Secretariat. The headquarters of the Board will be at Delhi.

5. The functions of the Board shall be advisory in nature and the Board will submit its reports to the Prime Minister.

6. The term of the Board will be initially for two years.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

R. PARAMESWAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 16th March 1983

RESOLUTION

No. O. 12012/5/82-Trg.—National Institute of Rural Development, Hyderabad (NIRD) was established as an autonomous organisation in the year 1965. The activities of the institute mainly relate to conducting of training programmes for functionaries of the Government and non-officials in rural development, conducting of research studies and undertaking consultancy assignments.

2. In order to have an indepth review of the working of the institute and its role as a nodal institution in the context of the emerging patterns of rural development, the Government of India has decided to set up a Review Committee. The committee is to evaluate the working of the institute and suggest measures for improvement.

3. The composition of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Secretary,
   Ministry of Rural Development.

Members

2. Secretary,
   Department of Personnel and Administrative Reforms.
3. Dr. S. K. Rau, Ex-Direcor-General,
   National Institute of Rural Development.
4. Shri S. C. Varma,
   former Secretary,
   Ministry of Rural Development.

Member-Secretary

5. Director-General,
   National Institute of Rural Development.

4. The terms of reference of the Review Committee will be as under :—

(i) To examine the role of National Institute of Rural Development as the nodal institution for training of rural development functionaries and suggest measures for improving its linkages with State Training Institutions for rural development.

(ii) To examine the context of NIRD's activities in training research and concultancy and identify areas that need to be stregthened or reoriented in NIRD's task system to better reflect the modified approaches in rural development as reflected by the priorities listed in the 20-Point Economic Programme.

(iii) To indicate the desirable composition and pattern of organisation into which NIRD should grow-over the next few years keeping in view the objectives listed at (i) and (ii) above.

(iv) To examine the present management system of NIRD (as reflected in its by-laws, rules and regulations), and suggest any changes that may be warranted by NIRD's emerging role as the principal institute for coordinating the orientation training of rural development functionaries.

(v) To examine the need for setting up of a Centre for Rural Leaders' Training and to indicate the composition and pattern of organisation for this purpose.

(vi) To examine the need for setting up of Regional Centres of NIRD in various parts of the country and suggest the composition and pattern of these rural centres.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all members of the Committee.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. C. JETLI, Jt. Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

RESOLUTION

New Delhi, the 4th March 1983

No. 1. INST(5)/73-Tourism.—With a view to meeting the educational and training requirements of the personnel already employed in or needed for the growing tourism industry, as also for developing a professional outlook in tourism management at all levels, particularly at the levels concerned with policy making and execution, it has been decided to set up an Indian institute of Tourism and Travel Management.

1. (i) The Institute is to be set up as an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860.

(ii) The registered Head Office of the Institute shall be in Delhi and at present located at Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi.

(iii) The objectives of the Institute inter alia will be :

(a) to provide training to the existing and potential managerial personnel in the various segments of the tourism field; viz., hotels, travel agencies, tour operators, transport operators, guides, airlines, public sector undertakings, official tourist organisations at Central and State Government levels, etc.

(b) to offer consultancy services and research facilities;

(c) to establish a comprehensive library and documentation centre

(d) to undertake documentation and publication of suitable literature.

2. (i) The Management of such an Institute will be through the Board of Governors which will be the policymaking body and will consist of the following :

1. Chairman—Minister of Tourism & Civil Aviation.
2. Senior Vice-Chairman—Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation (Deptt. of Tourism).
3. Vice-Chairman—Dr. Jagdish Parikh.
4. Vice-Chairman—Director General of Tourism.

Members

5. Chairman/Managing Director—Air India.
6. Chairman/Managing Director—Indian Airlines.
7. Chairman/Managing Director—India Tourism Development Corporation.
8. Chairman/Managing Director—International Airports Authority of India.
9. Nominee—Travel Agents Association of India.
10. Nominee—Federation of Hotels & Restaurants Association of India.
11. Principal (by rotation)—Institute of Catering and Hotel Management.
12. Nominee—Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
13. Nominee—All India Management Association.
14. Director—Indian Institute of Management.
15. Addl. Director General of Tourism/Director—(Tourist Administration)—Department of Tourism.

(ii) The term of the Board of Governors will be for a period of three years in the first instance.

(iii) The Board will devise its own procedure of work and it will hold its meetings at least twice a financial year.

(iv) The Headquarters of the Board will be at New Delhi and non-official members of the Board will draw TA/DA in accordance with the orders contained in the Ministry of Finance O.M. No. F-6(26)/E. IV 59 dated the 5th September 1960 as amended from time to time. The expenditure on this account will be borne by the Institute.

G. N. MEHRA, Dir. Genl Tourism & ex-officio Addl. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

DEPARTMENT OF LABOUR

New Delhi, the 21st March 1983

No. Q 16015/1/82-WE(NLI).—WHEREAS reconstitution of the National Labour Institute was notified vide Notification No. Q-16015/1/82-WE(NLI) dated the 29th /30th October, 1982.

WHEREAS in the said Notification it was mentioned in the last para that names of Members of Parliament, persons who have made note-worthy contribution in the field of labour, employers' representatives etc. will be notified latter.

WHEREAS in the subsequent Notifications No. Q-16015/1/82-WE(NLI) dated the 3rd November, 1982 and 17th November, 1982, the names of the Chairman, University Grants Commission three Members of Parliament one eminent person who has made noteworthy contribution in the field of labour and two Employers representatives were notified.

NOW, THEREFORE, it is notified for the information of Public that the following persons shall serve on the General Council of the National Labour Institute with effect from the date of issue of Notification :—

Member of Parliament

Member of Parliament (Rajya Sabha),

(i) Shri M. Basavaraju,
16 CF Shah Road,
New Delhi.

Eminent persons who have made noteworthy contribution in the field of labour.

(i) Shri K. R. Ramachandran,
371, HAL, 2nd Stage,
Bangalore-560038.

(ii) Dr. P. Prasad,
Anugrah Narayan Sinha Institute,
Patna; and

(iii) Prof. Ram Narayan Saksena,
Vice-Chancellor,
Kashi Vidyapeeth,
Varanasi.

State Government Representative

Shri M. Vaithialingam,
Commissioner of Labour,
Government of Tamilnadu,
Madras.

The name(s) of (i) one representative of Workers (ii) two Members of Legislative Assembly and (iii) one Member of Parliament will be notified later.

S. M. R. ZAIDI, Labour & Employment Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983